

**!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!**

**प्रेस-नोट**

**दिनांक:- 03.07.2018**

➤ **अवैध देशी शराब के 53 पब्ले जप्त, आरोपी गिरफ्तार -**

थाना सदर करौली -दिनांक 03.07.2018 को शोबरनसिंह हैडकानि0 119 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि गॉव सैगरपुरा में एक व्यक्ति अवैध देशी शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर आरोपी सुरजन पुत्र मंगूसिंह जाति राजपूत निवासी सैगरपुरा को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 53 पब्ले अवैध देशी शराब जप्त कर अभियोग संख्या 109/2018 धारा 19/54 एक्ससाईज एक्ट में पंजीबद्ध किया गया।

➤ **मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोपी गिरफ्तार -**

थाना सदर हिण्डौन - दिनांक 20.10.2017 को लेखराज पुत्र किरोडी जाति मीना निवासी कोटरा ढहर के द्वारा मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का अभियोग संख्या 568/17 धारा 323,341,143, आई.पी.सी. व 3 (I)(R)(S))(VA) में पंजीबद्ध करवाया था। जिसमें बाद अनुसंधान फरार आरोपी 1. बलुआराम पुत्र बत्तू 2. दीपक पुत्र बलुआराम 3. सुरेन्द्र पुत्र कलूआ 4. कम्मो पत्नि बलुआराम 5. निरमा पत्नि कलुआ जातियान पुजारी निवासीयान कोटरा ढहर थाना सदर हिण्डौन को मंजीतसिंह वृत्ताधिकारी वृत्त हिण्डौनसिटी के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➤ **जानलेवा हमला करने के फरार आरोपी गिरफ्तार -**

थाना सदर हिण्डौन - दिनांक 20.10.2017 को परिवादी बलुआराम पुत्र बत्तुराम जाति पुजारी निवासी कोटरा ढहर थाना सदर हिण्डौन के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का अभियोग संख्या 569/17 धारा 147,148,149,323,341,354बी,452 भा.द.स में पंजीबद्ध करवाया था। जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी 1. रामगिलास पुत्र किरोडीलाल 2. धीरसिंह पुत्र रामगिलास 3. लेखराज पुत्र किरोडीलाल 4. लखन पुत्र किरोडीलाल 5. गोलाबाई पत्नि रामगिलास जातियान मीना निवासीयान कोटरा ढहर थाना सदर हिण्डौन को मंजीतसिंह वृत्ताधिकारी वृत्त हिण्डौनसिटी के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➤ **दहेज प्रताडना का आरोपी गिरफ्तार -**

थाना नादौती - दिनांक 20.10.2017 को परिवादीया श्रीमति विमलेश देवी पत्नि पंखीलाल पुत्री हरिप्रसाद उम्र 24 साल जाति मीना निवासी नादौती के द्वारा दहेज के लिये मारपीट कर तंग व परेशान करने का अभियोग संख्या 109/18 धारा 498ए, 406 भा.द.स में पंजीबद्ध करवाया था। जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी 1. पंखीलाल पुत्र कैलाश 2. कैलाश पुत्र रामचन्द्र जातियान मीना निवासीयान बेरखण्डी थाना बाटोदा जिला सवाई माधोपुर को राजेन्द्र शर्मा थानाधिकारी नादौती के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➤ **सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाते 3 आरोपी गिरफ्तार -**

थाना सदर करौली -

1. दिनांक 02.07.2018 को सुरेन्द्र सिंह हैडकानि0 31 के द्वारा दौराने गश्त गुडला बस स्टेण्ड पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में कंवरसिंह पुत्र बाबू लाल जाति मीना निवासी भांकरी थाना लांगरा को गिरफ्तार कर अभियोग संख्या 108/2018 धारा 4,6 आरएनसी एक्ट में पंजीबद्ध कर मैमोरी कार्ड, स्पीकर, को जप्त किया गया।
2. दिनांक 02.07.2018 को हरफूल सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा दौराने गश्त गंगापुर मोड पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के आरोप में मांगीलाल पुत्र फततेराम जाति मीना निवासी भीकमपुरा थाना मण्डरायल को गिरफ्तार कर अभियोग संख्या 113/2018 धारा 4,6 आरएनसी एक्ट में पंजीबद्ध कर मैमोरी कार्ड, स्पीकर, को जप्त किया गया।

3. दिनांक 02.07.2018 को देवेन्द्र सिंह हैडकानि0 82 के द्वारा दौराने गश्त बंशी का बाग के पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में पिन्टू पुत्र भौरसिंह जाति माली निवासी पांचना कालोनी के पीछे को गिरफ्तार कर अभियोग संख्या 110/2018 धारा 4,6 आरएनसी एक्ट में पंजीबद्ध कर मैमोरी कार्ड, स्पीकर, को जप्त किया गया।

➤ शांति भंग में 2 व्यक्ति गिरफ्तार –

थाना कुडगांव – दिनांक 3.07.2018 को छोटूसिंह हैड कानि. के द्वारा मौजा किरतपुरा में लडाई-झगडा कर उत्पात मचाने पर आरोपी 1. विरमानन्द उर्फ ब्रहमलाल पुत्र रामपाल उम्र 58 साल 2. रोहित पुत्र विरमानन्द उर्फ ब्रहमलाल उम्र 24 साल जातियान चतुर्वेदी निवासीयान कीरतपुरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।